रात्रि कर्फ्यू / बॉर्डर पंजीकरण से जुड़े प्रशनोत्तर

I. रात्रि/ नाईट कर्फ्यू

1. रात्रि/ नाईट कर्फ्यू का क्या मतलब है ?

27 अप्रैल 2021 से 10 मई 2021 तक रोज़ रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जिला ऊना में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेंगे जिसे रात्रि/ नाईट कर्फ्यू का नाम दिया गया है |

2. क्या रात्रि/ नाईट कर्फ्यू के दौरान कोई छूट रहेगी ?

रात्रि/ नाईट कर्फ्यू के दौरान निम्न आवाजाही पर सीमित छूट रहेगी:

I. मालवाहक वाहनों की आवाजाही जिसमें ड्राईवर के अलावा अधिकतम एक हेल्पर हो
II. मेडिकल इमरजेंसी में अस्पताल जाने के लिए आवाजाही
III. दवाई की दुकानों के लिए आवाजाही
IV. औद्योगिक इकाईयों और फैक्ट्रीयों के लिए आवाजाही (व्यक्ति को अपना कर्मचारी पहचान पत्र साथ रखना होगा)
V. पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन और पेट्रोलियम पदार्थों के संग्रहण से सम्बंधित आवाजाही
VI. कोविड-19 और अन्य इमरजेंसी ड्यूटी पर लगे सरकारी कर्मचारी (अपना कर्मचारी पहचान पत्र साथ रखना होगा)
VII. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक्रेडिटेड कोरेस्पॉंडेंट और अखबारों की सप्लाई से जुड़ी आवाजाही
VIII. इंटर-स्टेट और हिमाचल के अन्य जिलों को जा रही बसों की आवाजाही
IX. ट्रेन या बस से उतरी सवारियों की घर के लिए आवाजाही और ट्रेन या बस पकड़ने के लिए आवाजाही (व्यक्ति के पास वैध टिकट होना चाहिए)
X. टेलिकॉम एवं संचार सेवाओं से जुड़ी आवाजाही
XI. दाह संस्कार से सम्बंधित लोगों और वाहनों की आवाजाही

3. क्या रात के 10 बजे के बाद शादी समारोह के लिए आवाजाही की अनुमति है ?

नहीं, शादी समारोह में भाग लेकर रात 10 बजे से पहले घर पहुंचना सुनिश्चित करें |

4. क्या मैं रात को जिला ऊना में एंट्री लेकर जिला काँगड़ा या हमीरपुर के लिए जा सकता हूँ ?

यदि आप जिला ऊना से एंट्री लेकर गुजर रहें है तो आपको https://covid19epass.hp.gov.in पर पंजीकरण कर अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र बॉर्डर पर दिखाना होगा |

5. यदि मैं रात्रि/ नाईट कर्फ्यू के दौरान प्रतिबंधित आवाजाही करते पाया जाता हूँ तो क्या परिणाम होगा?

यदि आप रात्रि/ नाईट कर्फ्यू का उलंघन करते पाए जाते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और आपको सरकारी/ संस्थागत क्वारंटीन में भी भेजा जा सकता है |

II. <u>बॉर्डर रजिस्ट्रेशन/ पंजीकरण</u>

1. **क्या ज़िला ऊना में बॉर्डर एंट्री/ प्रवेश पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है?**
   हाँ, 27 अप्रैल 2021 की मध्य रात्री से इंटर-स्टेट बॉर्डर के माध्यम से आने वाले व्यक्ति को https://covid19epass.hp.gov.in पर पंजीकृत होना पड़ेगा | यह पंजीकरण प्रमाण पत्र बॉर्डर पर चेक और स्कैन किया जायेगा और उसके बाद ही ज़िला में प्रवेश दिया जाएगा |

2. **बॉर्डर पर क्या-क्या दस्तावेज़ देखे जाएंगे?**
   बॉर्डर पर https://covid19epass.hp.gov.in से ज़ारी QR कोड युक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र, कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट, व्यक्ति का फोटो पहचान पत्र और पंजीकरण करते समय दिया गया ओरिजिन पॉइंट (जहां से यात्रा शुरू की है) और डेस्टिनेशन पॉइंट (जहाँ जा रहे है) सम्बन्धी दस्तावेज देखे जाएंगे | गलत दस्तावेज़ पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी | इसलिए पंजीकरण करते समय कोई भी गलत पता या दस्तावेज़ अपलोड ना करें |

3. **यदि मैं बिना पंजीकरण बॉर्डर पर पहुँचता हूँ तो क्या होगा ?**
   ऐसी स्थिति में आपको बॉर्डर नाके पर पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा | बॉर्डर नाकों पर असुविधा से बचने के लिए यात्रा शुरू करने से पूर्व ही अपना पंजीकरण करवाएं और पंजीकरण प्रमाण-पत्र साथ लेकर चलें |

4. **कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट कहाँ से ज़ारी होनी चाहिए ?**
   कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट सरकारी लैब/ ICMR से अधिकृत लैब से ही ज़ारी होनी चाहिए |

5. **यदि मैं ट्रेन से ज़िला ऊना में प्रवेश करता हूँ तो मुझे क्या करना होगा?**
   आपको भी https://covid19epass.hp.gov.in पर पंजीकरण करवाना होगा |

6. **मैं रोज़ अपनी दुकान/जॉब के लिए पंजाब स्थित ज़िला ऊना के सीमावर्ती क्षेत्र से ज़िला में आता हूँ | क्या मुझे भी पंजीकरण करवाना होगा?**
   हाँ ऐसे सभी लोगों को https://covid19epass.hp.gov.in पर "other" श्रेणी में "Monthly E-Pass" के लिए पंजीकृत होना होगा और अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र, फोटो पहचान पत्र और ज़िला में दुकान/ जॉब होने के दस्तावेज़ साथ रखने होंगे | ऐसे सभी लोगों को अगले 6 हफ्ते में अपना कोविड-19 टीकाकरण पूर्ण करना होगा |

7. **मुझे अपने खेत में /निर्माण कार्य /**उद्योग **के लिए कामगारों/लेबर की आवश्यकता है | मुझे क्या करना होगा?**
   उक्त कार्यों के लिए कामगारों/ लेबर लाने वाले व्यक्ति/ ठेकेदार को कामगारों/ लेबर का पंजीकरण https://covid19epass.hp.gov.in पर करवाना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 के लक्षणों वाला कोई भी कामगार जिला में न लाया जाये | ऐसे कामगारों को आम लोगों/ बस्तियों से अलग रखा जाएगा और काम की जगह पर सभी मास्क लगा कर ही काम करें |

8. कोविड-19 हाई लोड राज्य कौन से है?

पंजाब, दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान | यह सूची निकट भविष्य में बढ़ सकती है |

9. कोविड-19 हाई लोड राज्य से ज़िला ऊना में रहने के लिए अपने घर आने वालो के लिए क्या नियम है?

यदि आप कोविड-19 हाई लोड राज्य से ज़िला ऊना में अपने घर रहने आ रहे हैं तो आप अपने साथ RTPCR कोविड -19 नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाएं जो एंट्री/ प्रवेश से 72 घंटे पूर्व की अवधी में ज़ारी की गई हो | यदि ऐसी रिपोर्ट नहीं लाते है तो ज़िला में क्वारंटीन होकर कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा |

10. मुझे ऊना में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आना है | मुझे क्या करना होगा?

आपको https://covid19epass.hp.gov.in पर पंजीकरण करवाना होगा | यदि आप कोविड-19 हाई लोड राज्य जैसे कि पंजाब/ दिल्ली-एनसीआर से आ रहे हैं तो प्रवेश के पूर्व 72 घंटों में ज़ारी RTPCR कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर ही आएं | यदि आप 72 घंटे से अधिक ज़िला ऊना में रुकते हैं तो आपको यहीं क्वारंटीन होकर कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा |

11. मैं जिला ऊना में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आ रहा हूँ | मुझे क्या करना होगा ?

आपको https://covid19epass.hp.gov.in पर पंजीकरण करवाना होगा | यदि आप कोविड-19 हाई लोड राज्य जैसे कि पंजाब/ दिल्ली-एनसीआर से आ रहे हैं तो प्रवेश के पूर्व 72 घंटों में ज़ारी RTPCR कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर ही आएं |

12. मैं ज़िला ऊना में कोविड-19 हाई लोड राज्य से बिज़नस/काम काज के लिए आ रहा हूँ | मुझे क्या करना होगा ?

आपको https://covid19epass.hp.gov.in पर पंजीकरण करवाना होगा और अपने काम-काज सम्बन्धी दस्तावेज़ जैसे वर्क आर्डर इत्यादि साथ लाना होगा | यदि आप ज़िला ऊना में 72 घंटे से कम समय के लिए काम-काज के लिए आते हैं और होटल इत्यादि में अपने अलग कमरे में रहते हैं तो आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा |

13. मैं ऊना का रहने वाला हूँ और रोज़ पंजाब में नौकरी/ काम करने जाता हूँ | मुझे क्या करना होगा?

यदि आप ज़िला ऊना से रोज़ पंजाब में नौकरी/ काम के लिए जाकर वापिस आ रहे है तो आपको https://covid19epass.hp.gov.in पर “Going Out and Coming Back to HP (within 72 hours)” आप्शन से “other” श्रेणी में “Monthly E-Pass” के लिए पंजीकृत होना होगा और अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र, फोटो पहचान पत्र और पंजाब में नौकरी/ दुकान होने के दस्तावेज़ साथ रखने होंगे | ऐसे सभी लोगों को अगले 6 हफ्ते में अपना कोविड-19 टीकाकरण पूर्ण करना होगा |

14. मैं हर सप्ताह के अंत में ज़िला ऊना में अपने घर रहने आता हूँ | मुझे क्या करना होगा ?

आपको https://covid19epass.hp.gov.in पर पंजीकरण करवाना होगा | यदि आप 72 घंटे से अधिक ज़िला ऊना में रुकते हैं तो आपको यहीं क्वारंटीन होकर कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा | ऐसे सभी लोगों को अगले 6 हफ्ते में अपना कोविड-19 टीकाकरण पूर्ण करना होगा |

15. मैं ज़िला ऊना से पंजाब / दिल्ली के लिए काम/ उपचार के लिए जाना चाहता हूँ | मुझे क्या करना होगा?

यदि आप ज़िला ऊना से पंजाब / दिल्ली-एनसीआर आदि कोविड-19 हाई लोड राज्यों में किसी काम/ उपचार के लिए 72 घंटों में जाकर वापिस आ रहे है तो आपको https://covid19epass.hp.gov.in पर "Going Out and Coming Back to HP (within 72 hours)" की श्रेणी में पंजीकरण करवाना होगा और 72 घंटों के अंदर ही हिमाचल लौटना होगा | यदि आप 72 घंटे के बाद हिमाचल लौटते है/ लौटने वाले हैं तो आपको लौटकर अपने घर में क्वारंटीन होकर कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा |

16. मैं ज़िला ऊना से 27 अप्रैल से पहले निकल चुका हूँ और बाहर जाने के लिए पंजीकरण नहीं करा पाया हूँ | मुझे क्या करना होगा ?

यदि आप ज़िला ऊना से पंजाब / दिल्ली-एनसीआर आदि कोविड-19 हाई लोड राज्यों के लिए निकल चुके हैं तो वापस आते समय https://covid19epass.hp.gov.in पर "Coming into Himachal" की श्रेणी में पंजीकरण करवा लें और यदि आपके पास 72 घंटे की अवधि की यात्रा को कोई साक्ष्य नहीं है तो लौटकर अपने घर में क्वारंटीन होकर कोविड-19 टेस्ट करवाएं |

17. ज़िला ऊना में क्वारंटीन से किन लोगों को छूट रहेगी ?

ज़िला ऊना में निम्न लोगों को क्वारंटीन से छूट होगी:

(i) वे लोग जो अपने साथ RTPCR कोविड -19 नेगेटिव रिपोर्ट साथ ला रहे हैं जो कि एंट्री/ प्रवेश से 72 घंटे पूर्व की अवधी में ज़ारी की गई हो;

(ii) वे लोग जिनको एंट्री/ प्रवेश से 14 दिन पूर्व कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज़ का सर्टिफिकेट मिल चुका है;

(iii) ज़िला के निवासी जो कोविड-19 हाई लोड राज्य से 72 घंटे के अन्दर लौट आते हैं और यात्रा के लिए पंजीकरण करवाकर जाते हैं;

(iv) ज़िला में कोविड-19 हाई लोड राज्य से आने वाले लोग जो 72 घंटे से कम रुकते हैं और शादी इत्यादि में सम्मिलित नहीं होते हैं;

(v) पिछले 6 महीने में कोविड-19 से रिकवर हुआ व्यक्ति (किन्तु पिछले 20 दिन में संक्रमित नहीं हुआ होना चाहिए);

(vi) 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे जिनके माता-पिता कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए हैं |

18. मैं पंजाब / दिल्ली में कोविड-19 टेस्ट के लिए सैंपल देकर आया हूँ पर रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है| मुझे क्या करना होगा ?

यदि आपने पंजाब/ दिल्ली इत्यादि यात्रा शुरू करने के स्थान पर कोविड-19 टेस्ट के लिए सैंपल दिया है और रिपोर्ट नहीं आई है तो ज़िला ऊना के लिए यात्रा न करें | मात्र सैंपल के लिए पंजीकरण के मेसेज को बॉर्डर पर मान्य नहीं समझा जाएगा | ऐसी स्थिति में आपको सरकारी/ संस्थागत क्वारंटीन में रखकर आपका टेस्ट करवाया जायेगा | यदि आप सैंपल देने वाले स्थान पर पॉजिटिव आते हैं तो बाद में आप पर लापरवाही से कोविड-19 फैलाने का मुकदमा भी दर्ज होगा |

19. क्या एक वाहन में बैठे सभी लोगों को पंजीकरण करवाना होगा?

हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकरण करवाना होगा | एक आवेदक अपने साथ दो अतिरिक्त व्यक्तियों का पंजीकरण उसी फॉर्म से करवा सकता है |

20. मैं हिमाचल के बाहर शादी में शामिल होने जा रहा हूँ | मुझे क्या करना होगा?

आपको हिमाचल वापिस आने पर बॉर्डर पर कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या घर में क्वारंटीन होकर कोविड-19 टेस्टिंग करवानी होगी|

21. मुझे वैक्सीन की एक डोज़ लग चुकी है | क्या मुझे जिला ऊना में अपने घर पर क्वारंटीन होना पड़ेगा?

यदि आप ज़िला ऊना में कोविड-19 हाई लोड राज्य से आ रहे है तो एंट्री/ प्रवेश से 14 दिन पूर्व तक आपको वैक्सीन की दोनों डोज़ लग चुकी होनी चाहिए तभी आप घर पर क्वारंटीन से मुक्त होंगे | सिर्फ एक डोज़ लगने पर आपको यह छूट नहीं मिलेगी |

22. यदि मैं क्वारंटीन के दायरे में आते हुए भी घर से बाहर निकलता हूँ तो उसका क्या परिणाम होगा?

ऐसे मामलों में उल्लंघन करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन्हें सरकारी/ संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रख कर टेस्ट करवाया जाएगा |

23. यदि मैं बिना पंजीकरण के चोर-रास्तों से ज़िला में प्रवेश कर लेता हूँ तो क्या होगा ?

ज़िला के प्रत्येक शहरी वार्ड/ पंचायत में बाहर से आए लोगों को ढूँढने के लिए टीम काम पर लगी हैं और बिना पंजीकरण आए लोगों की पहचान होने पर उनपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन्हें सरकारी/ संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रख कर टेस्ट करवाया जाएगा |

24. यदि मुझे कोई शंका हो तो मैं किस नंबर पर संपर्क कर सकता हूँ |

आप किसी भी सूचना के लिए 1077 पर संपर्क कर सकते हैं | केवल आधिकारिक स्त्रोतों (https://hpuna.nic.in) से ही जानकारी लें | सोशल मीडिया पर फैली सूचना को सरकारी निर्देश न मानें |